Helpline **1064**

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में ई–मित्र संचालक (प्राईवेट व्यक्ति) 1 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *09 मई, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.यू.) जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **विश्राम गुर्जर ई–मित्र संचालक, कार्यालय ग्राम पंचायत लसाड़िया, पंचायत समिति फागी, जिला जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति)** को परिवादी से **1 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.यू.) जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पिता की मृत्यु होने पर श्रमिक डायरी के आधार पर श्रम विभाग से क्लेम पास करवाने की एवज में आरोपी विश्राम गुर्जर ई–मित्र संचालक, कार्यालय ग्राम पंचायत लसाड़िया, पंचायत समिति फागी, जिला जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा **1 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.यू.) जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप सारस्वत** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सज्जन कुमार** द्वारा मय टीम के फागी, जयपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी विश्राम गुर्जर ई–मित्र संचालक, कार्यालय ग्राम पंचायत लसाड़िया, पंचायत समिति फागी, जिला जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **1 लाख रुपये (30 हजार रुपये भारतीय मुद्रा एवं 70 हजार रुपये डमी करेंसी)** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**